न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 07/2025 **बउनवान**

रामचरण आयु 85 वर्ष आत्मज गोपाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबडा, जिला बारां (राज०)

(प्रार्थी)

बनाम

1. क्षैत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग, छबड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील छबड़ा, जिला बारां (राज0)
3. उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा, जिला बारां (राज0)

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–235 आर0 टी0 एक्ट
सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थितिः– 1. श्री हरिओम चर्तुवेदी, अभिभाषक (प्रार्थी)

आदेश दिनांक– 24.09.2025

प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक वाद रामचरण बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी छबडा के यहा प्रस्तुत कर रखा है, जो कि वाद क्रमांक 36/2013 है तथा आगामी तारीख पैशी 16/06/2025 नियत है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय अप्रार्थी क्रम–3 द्वारा राजनेतिक दवाब के चलते प्रार्थी वादी से न्यायालय में अक्सर यह कहते है कि तेरा दावा मै खारिज कर दूंगा, तू लोगो ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, न्यायालय के इस बर्ताव से प्रार्थी को यह पूर्ण अंदेशा है कि न्यायालय प्रार्थी के साथ न्याय नहीं करेगा तथा न्यायालय प्रीज्यूडिस होकर कार्य कर रहा है, जबकि न्याय का सिंद्वात है कि न्याय होना नही चाहिए वरन् दिखना भी चाहिए। न्यायालय हाजा प्रत्येक तारीख पर जब–जब न्यायालय के पीठासीन अधिकारी विराजते है वह प्रार्थी को यही कहते है कि तुम्हे मै अजमेर का रास्ता दिखा दूंगा, न्यायालय के इस व्यवहार से प्रार्थी अत्यधिक व्यथित है तथा वह उक्त वाद की सुनवाई माननीय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा के समक्ष अपने वाद की सुनवाई नहीं करवाना चाहता है अन्यत्र समकक्ष उपखण्ड अधिकारी के सम्मुख स्थानांतरण करवाना चाहता है। अतः स्थानांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का वाद बउनवान रामचरण बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी छबडा वाद क्रमांक 36/2013 को बारां जिले में अन्यत्र समकक्ष उपखण्ड अधिकारी के यहां स्थानांतरण करने के आदेश प्रदान फरमावे ।

प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 3 ने ऑनलाईन जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 व 3 में अप्रार्थी क्रम 3 पीठासीन अधिकारी, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा पर लगाये गये आरोप निराधार एवं मनगढन्त है। प्रार्थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा में जैरकार वाद संख्या 36/2013 बउनवान रामचरण बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 को अन्यत्र समकक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को स्थानान्तरण करवाना चाहता है तो, इस न्यायालय को स्थानांतरण करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थी कम 1 ने स्वयं उपस्थित [illegible] जवाब इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थी द्वारा एक वाद रामचरण बनाम क्षेत्रीय [illegible] अधिकारी [illegible] धारा 88, 89, 91, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी छबडा के यहां वाद क्रमांक 36/2013 प्रस्तुत किया था

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.14 10:59:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारॉं (राज॰)

... द्वारा एक वाद रामचरण बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी

खसरा नं 89 रकबा 1.15 बीघा, खसरा नं. 90 रकबा 29.02 बीघा, खसरा नम्बर 124 रकबा 6.11 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 37.08 बीघा भूमि को सिवायचक घोषित किया गया। न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया कि ''वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम अल्लापुरा तहसील छबड़ा की आराजी ख० न० 89 रकबा 1.15 बीघा, ख० नं० 90 रकबा 29.02 बीघा खसरा नंबर 124 रकबा 6.11 बीघा भूमि राज्यपाल महोदय के गजट नोटिफिकेशन व राज्य सरकार के आदेश प्रपत्र जो विज्ञप्ति सं. एफ 7(542) रा. क.68 दिनांक 19.07.1969 के आधार पर जंगलात (वन विभाग) मे नही होने के कारण सिवायचक दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबड़ा को दिये जाते है।'' उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार छबड़ा द्वारा नामान्तरण संख्या 186 दिनांक 05.03.2014 से खसरा नम्बर 89 रकबा 1.15बीघा, खसरा नम्बर 90 रकबा 29.02 बीघा एवं खसरा नम्बर 124 रकबा 6.11 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 37.08 बीघा भूमि को सिवायचक दर्ज किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी छबड़ा ने धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा के प्रकरण संख्या 36/2013 दावा निर्णय व डिकी दिनांक 10.02.2014 से अप्रसन्न होकर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा को अपील की गयी। न्यायालय द्वारा अपील संख्या 164/2017 दिनांक 10.10.2017 में निर्णय दिनांक 26.10.2020 को पारित किया जाकर आदेश फरमाया कि ''अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 10.02.2014 को अपास्त किया गया। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे समस्त रेकार्ड का गहनता से अध्ययन कर तथा पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निणर्य पारित करें।'' उक्त निर्णय उपरान्त क्षेत्रीय वन अधिकारी छबड़ा द्वारा पत्र कमांक 225 दिनांक 30.03.2022 श्रीमान तहसीलदार छबड़ा को भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 26.10.2020 की पालना में उक्त तीनो खसरो की कुल 37 बीघा 08 बिस्वा सिवायचक दर्ज भूमि को पुनः वन विभाग महकमा जंगलात के नाम दर्ज करने का कष्ट करें। अपीलाण्ट रामचरण पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी अल्लापुरा तहसील छबड़ा जिला बारां द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 विरूद्ध निर्णय दि. 26.10.2020 जो कि न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील संख्या 164/2017 बउनवानी क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम रामचरण में पारित निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील संख्या 4378/2020 की गयी। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2022 को अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2020 यथावत रखा जाता है। राजस्व मण्डल अजमेर से पत्रावली उपखण्ड अधिकारी छबड़ा को प्राप्त होने पर दिनांक 03.01.2023 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर दोनो पक्षों को सम्मन जारी कर तारीख 10.01.2023 नियत की गयी थी, जिसमे नवीन तारीख 07.10.2025 नियत की गई है। अतः निवेदन है कि स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रार्थना संख्या संख्या 7/25 अन्तर्गत धारा 235 आरटीए सपठित धारा 151 सीपीसी रामचरण आत्मज गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम अल्लापुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी वन विभाग छबड़ा, राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील छबड़ा एवं उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां को खारिज फरमाया जावें एवं वाद कमांक 36/2013 उपखण्ड अधिकारी छबड़ा के समक्ष ही यथावत रखा जावें।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्राप्त होने पर हमने प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी। दौरोने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजनेतिक दवाब के चलते प्रार्थी [illegible] में अक्सर यह कहते है कि तेरा दावा मै खारिज कर दूंगा, तू लोगो ने सरकारी जमीन [illegible] कर रखा है, न्यायालय के इस बर्ताव से प्रार्थी को यह पूर्ण अंदेशा है कि [illegible] तथा न्यायालय प्रीज्यूडिस होकर कार्य कर रहा है, जबकि न्याय का सिद्वांत है कि [illegible] नही चाहिए वरन् दिखना भी चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.14 10:59:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

... द्वारा एक वाद रामचरण बनाम क्षैत्रीय वन अधिकारी

...थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त उनवानी प्रकरण वाद ...क 36/2013 को बारां जिले में अन्यत्र समकक्ष उपखण्ड अधिकारी के यहां स्थानांतरण करने के ...देश प्रदान फरमावे ।

दौराने बहस अप्रार्थी क्रम 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद कमांक 36/2013 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा द्वारा निर्णय दिनांक 10.02.2014 से वादी का वाद खारिज किया तथा विवादित आराजी वाके ग्राम अल्लापुरा तहसील छबड़ा की आराजी ख० न० 89 रकबा 1.15 बीघा, ख० नं० 90 रकबा 29.02 बीघा खसरा नंबर 124 रकबा 6.11 बीघा भूमि राज्यपाल महोदय के गजट नोटिफिकेशन व राज्य सरकार के आदेश प्रपत्र जो विज्ञप्ति सं. एफ 7(542) रा. क.68 दिनांक 19.07.1969 के आधार पर जंगलात (वन विभाग) मे नही होने के कारण सिवायचक दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबड़ा को प्रदान किये। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी क्रम 1 ने न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील संख्या 164/2017 पेश की जिसमें निर्णय दिनांक 26.10.2020 से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 10.02.2014 को अपास्त किया गया। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे समस्त रेकार्ड का गहनता से अध्ययन कर तथा पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निणर्य पारित करें। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर में अपील संख्या 4378/2020 पेश की जिसे न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.12.2022 से सारहीन होने से खारिज की जाकर अपीलीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2020 यथावत रखा गया राजस्व मण्डले अजमेर से पत्रावली उपखण्ड अधिकारी छबड़ा को प्राप्त होने पर दिनांक 03.01.2023 से नियमानुसार प्रकरण जैरकार है जिसमें आगामी तारीख 07.10.2025 नियत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी छबड़ा के समक्ष ही यथावत रखा जावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में पीठासीन अधिकारी पर जो आरोप लगाये गये हैं उनके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य इस न्यायालय में पेश नहीं किये हैं। तथा स्वंय पीठासीन अधिकारी ने भी प्रस्तुत जवाब में न्यायालय को स्थानांतरण करने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। अतः प्रार्थी की आशंका को ध्यान में रखते हुए, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा में विचाराधीन प्रकरण संख्या 36/2013 बउनवान मुकदमा रामचरण बनाम क्षैत्रीय वन अधिकारी को सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में अन्तरित की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली अविलम्ब न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां को भिजवावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा से पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमित रूप से सुनवाई सुनिश्चित करें। उभयपक्षकारान दिनांक 15.10.2025 को सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.14 10:59:56 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

बारां (राज०)

... बारां ... रामचरण बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी